न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 77/2015 (2015/00159) **दायर दिनांक 15.05.2015**
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. जशोदाबाई पुत्री स्व0 घीसुलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास हाल निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीया

बनाम

1. मांगीलाल पिता घीसुलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी भीलवाड़ा।
2. सत्यप्रकाश पिता बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आरनी तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
3. कमलादेवी पुत्री बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आरनी तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
4. चन्दा पुत्री बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आरनी तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
5. सरोज पुत्री बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आरनी तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
6. तुलसी पुत्री बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आरनी तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।
7. बैंक आफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः श्री मेहश दाद्यीच
पेरोकार सरकार

::प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा::

निर्णय **दिनांक 22.02.2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया ने विपक्षीग[illegible] पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मेघारास पटवार हल्का भूणास में [illegible]400 रकबा 0.05 हे0, [illegible] रकबा 0.39 हे0, 427 रकबा 0.59 हे0, 446 रकबा 0.66, 449 र[illegible] 0.22 हे0, 450 रकबा [illegible] हे0, 538 रकबा 0.10 हे0, 539 रकबा 0.06 हे0 (आचा), 542 रकबा 0.12 हे0, 545 रकबा 0.01 हे0, 546 रकबा 0.22 हे0, 569 रकबा 0.60 हे0, 570 रकबा 0.89 हे0, 578 रकबा 0.62 हे0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.90 हे0 जिसके लिये जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 प्रस्तुत है।

प्रकरण संख्या :– 77/2015 (2015/00159)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

यह कि उक्त वर्णित आराजियात के साबिक नम्बर 623 रकबा 5 बिस्वा 640 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 645 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 646 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 674 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 748 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 749 रकबा 16 बिस्वा, 752 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 760 रकबा 6 बिस्वा, 761 रकबा 8 बिस्वा, 762 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 763 रकबा 6 बिस्वा, 764 रकबा 11 बिस्वा , 766 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 767 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 774 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा है। जिसके लिये साबिक जमाबंदी संवत् 2039 से 2042 व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत हैं।

यह कि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या एक लगायत छः के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

घीसा

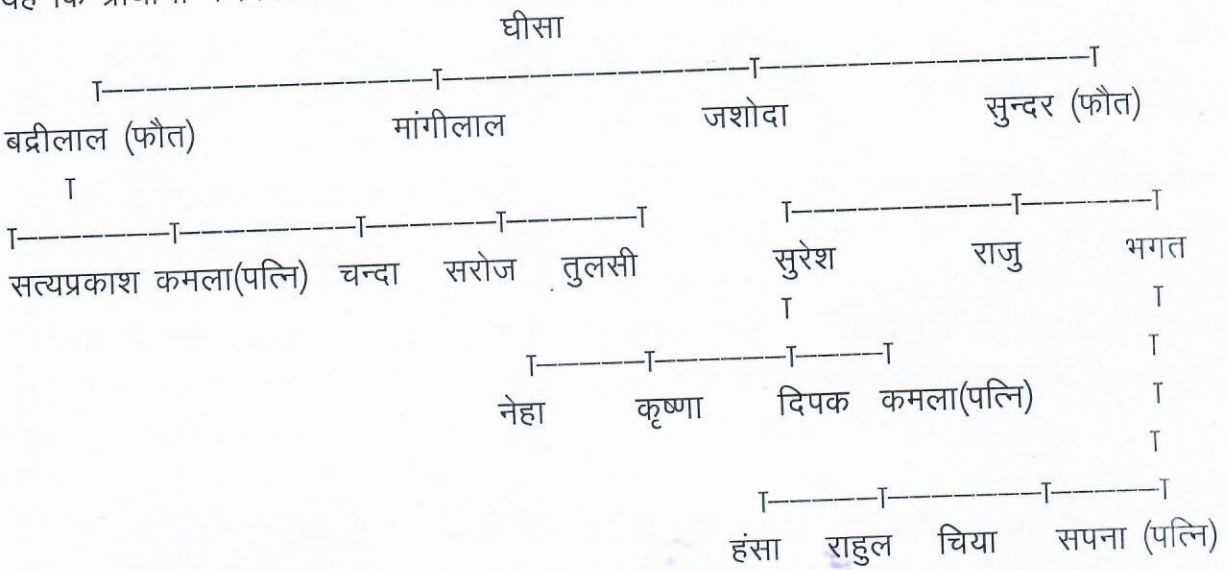

बद्रीलाल (फौत) — मांगीलाल — जशोदा — सुन्दर (फौत)

बद्रीलाल (फौत): सत्यप्रकाश — कमला(पत्नि) — चन्दा — सरोज — तुलसी

सुन्दर (फौत): सुरेश — राजु — भगत

सुरेश: नेहा — कृष्णा — दिपक — कमला(पत्नि)

भगत: हंसा — राहुल — चिया — सपना (पत्नि)

यह कि ग्राम मेघारास पटवार हल्का भूणास में स्थित आराजी संख्या 400 रकबा 0.05 हे0, 401 रकबा 0.39 हे0, 427 रकबा 0.59 हे0, 446 रकबा 0.66, 449 रकबा 0.22 हे0, 450 रकबा 0.37 हे0, 538 रकबा 0.10 हे0, 539 रकबा 0.06 हे0 (आचा), 542 रकबा 0.12 हे0, 545 रकबा 0.01 हे0, 546 रकबा 0.22 हे0, 569 रकबा 0.60 हे0, 570 रकबा 0.89 हे0, 578 रकबा 0.62 हे0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.90 हे0 भूमि पूर्वजों के वक्त से ही चली आ रही है तथा हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभक्त संपत्ति है जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है व मृतक बद्रीलाल के वारिसों का 1/4 हिस्सा व विपक्षी मां[illegible] का 1/4 हिस्सा व मृतक सुन्दर के वारिसों का प्रार्थीया के बराबर हिस्सा बनता हैं। प्रार्थीया अपने 1/4 हिस्से पर काबिज चली आ रही है व काश्त लाभ ले रही है। उक्त कथित आराजी [illegible] मृतक घीसा पिता उंकार के निधन के बाद उक्त आराजियात नामान्तरण संख्या 37 दिनांक 20.03.1962 से विपक्षी मांगीलाल व बद्रीलाल के नाम 1/2 – 1/2 हिस्से से गलत दर्ज हो गई जबकि प्रार्थीया मृतक घीसा की जाईन्दा पुत्री है एवं अपने पिता की सम्पत्ति में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है एवं प्रार्थीया अपने पैतृक हिस्से पर काबिज चली आ रही हैं। जिससे उक्त नामान्तरण प्रार्थीया के मुकाबले आरम्भ से ही अवैध होकर शुन्य हैं उक्त सम्पत्ति में घीसा के निधन होते ही प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा उत्तराधिकारी से निहित हो गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:23 IST
Reason: SelfAttested

2.

प्रकरण संख्या :– 77/2015 (2015/00159)
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

यह कि उक्त वर्णित पैतृक आराजियात जो विपक्षी संख्या एक से छः के नाम राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से गलत अभिलिखित हो गई है जबकि उक्त आराजियात में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है व प्रार्थीया अपने हिस्से पर काबिज चली आ रही है लेकिन विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 के नाम गलत दर्ज होने से विपक्षीगण संख्या एक से छः प्रार्थीया का 1/4 हिस्से से आधिपत्य हटाने पर आमादा है व उक्त आराजियात को हस्तान्तरित करने पर आमादा है एवं ऐलानिया धमकियां दे रहे हैं जिससे प्रार्थीया के पक्ष में विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं कि उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीया के 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें न अन्य को हस्तानान्तरित करे, न भूमि पर कोई भार ऋण बढ़ावे, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावे।

यह कि उक्त आराजियात विपक्षी संख्या एक लगायत छः के नाम गलत दर्ज होने से विपक्षीगण उक्त आराजियात को खुर्दबुर्द करने विक्रय करने पर आमादा है व प्रार्थीया का आधिपत्य हटाने की धमकियां दे रहे है व कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है व प्रार्थीया का पैतृक सम्पत्ति से हक समाप्त करना चाहते है जिससे अगर विपक्षीगण उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी जिससे पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टिया प्रकरण है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि ग्राम मेघारास पटवार हल्का भूणास में स्थित आराजी संख्या 400 रकबा 0.05 हे0, 401 रकबा 0.39 हे0, 427 रकबा 0.59 हे0, 446 रकबा 0.66, 449 रकबा 0.22 हे0, 450 रकबा 0.37 हे0, 538 रकबा 0.10 हे0, 539 रकबा 0.06 हे0 (आचा), 542 रकबा 0.12 हे0, 545 रकबा 0.01 हे0, 546 रकबा 0.22 हे0, 569 रकबा 0.60 हे0, 570 रकबा 0.89 हे0, 578 रकबा 0.62 हे0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.90 हे0 भूमि में प्रार्थीया के 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें न अन्य को हस्तानान्तरित करे, न भूमि पर कोई भार ऋण बढ़ावे, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस [illegible] दिनांक 15.05.2015 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन [illegible] संख्या एक लगायत छः बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके [illegible] ाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार हैः–

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण उक्त भूमि से प्रार्थीया को बेदखल कर देते है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीया अपने हक से महरूम हो जायेगी, इसके मुकाबले विपक्षीगण को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्राथीया के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि वाद वर्णित आराजियात में विरासत से प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– वर्णित आराजियात में से विपक्षीगण द्वारा बेदखल करने , हस्तान्तरित करने एवं विक्रय करने इस प्रकार की कल्पना प्रर्थीयाा द्वारा की हैं जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम मेघारास पटवार हल्का भूणास में स्थित आराजी संख्या 400 रकबा 0.05 हे0, 401 रकबा 0.39 हे0, 427 रकबा 0.59 हे0, 446 रकबा 0.66, 449 रकबा 0.22 हे0, 450 रकबा 0.37 हे0, 538 रकबा 0.10 हे0, 539 रकबा 0.06 हे0 (आचा), 542 रकबा 0.12 हे0, 545 रकबा 0.01 हे0, 546 रकबा 0.22 हे0, 569 रकबा 0.60 हे0, 570 रकबा 0.89 हे0, 578 रकबा 0.62 हे0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.90 हे0 भूमि में प्रार्थीया के 1/4 हिस्से के कब्जे काश्त किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें न अन्य को हस्तानान्तरित करे, न भूमि पर कोई भार ऋण बढ़ावे, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावे।

आदेश दिनांक 26.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:38:23 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर